(74)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भू.रा./2018/0298 विरूद्ध आदेश दिनांक 7-10-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण क्रमांक 309/अपील/2016-17.

त्रिलोकसिंह पिता बालुसिंह राजपूत
निवासी सरदार भगतसिंह मार्ग
बदनावर जिला धार
.....आवेदक

विरूद्ध

1. रघुवीर सिंह पिता बालुसिंह राजपूत
2. बालुसिंह पिता कालुसिंह राजपूत
   निवासीगण सरदार भगतसिंह मार्ग
   बदनावर जिला धार.
.....अनावेदकगण

श्री विक्रांत होल्कर अभिभाषक, आवेदक
श्री विजय इसासरे, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21/1/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-10-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बदनावर स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 2011, 2015, 2021, 2014/1/1, 2023/2/3, 2024/1/1, 2024/2/2, 2199/1, 2200, 2203/1, 2203/2 कुल रकबा 6.903 हेक्टेयर आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 1 के पिता अनावेदक क्रमांक 2 बालुसिंह के नाम दर्ज थी । उक्त भूमि में से सर्वे क्रमांक 2199/1, 2200, 2203/1, 2203/2 कुल रकबा 3.108 हेक्टेयर पर अनावेदक क्रमांक 1 रघुवीर सिंह ने बटवारे के आधार पर तहसील न्यायालय की नामांतरण पंजी क्रमांक 55 दिनांक 16-4-2012 द्वारा अपना नाम दर्ज करवा लिया । उक्त आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी,

बदनावर जिला धार के समक्ष दिनांक 1-7-2016 को विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 31/अपील/2015-16 पंजीबद्ध कर दिनांक 30-11-16 को अंतरिम आदेश पारित कर विलंब क्षमा किया जाकर दिनांक 27-3-17 को अंतिम आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 7-10-2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

1. प्रश्नाधीन भूमि का समस्त वारिसों के मध्य भूमि का विभाजन नहीं हुआ है और न ही समस्त हितबद्ध पक्षकारों को कोई सूचना दी गई है । तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी पर आदेश पारित किया गया है, जो कि संहिता के प्रावधानों के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य था, फिर भी अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त नहीं करने में गंभीर वैधानिक भूल की गई है ।

2. तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी पर बटवारा कर दिया गया है, जबकि बटवारा के प्रकरण में राजस्व न्यायालय को स्वत्व के प्रश्न का विनिश्चय करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है, फिर भी तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक के हिस्से तथा स्वत्व का विनिश्चय कर, बटवारा करने में गंभीर भूल की गई है । नामांतरण पंजी पर किया गया विभाजन का आदेश अधिकारिता रहित है । इस तर्क के समर्थन में 1994 आर.एन. 302 एवं 1995 आर.एन. 27 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

3. बटवारा नियमों के तहत विज्ञप्ति जारी कर, आपत्ति आमंत्रित की जाकर समस्त विधिक वारिसों के मध्य समान रूप से भूमि का विभाजन किए जाने का प्रावधान है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बटवारा हेतु अपनाई जाने वाली वैधनिक प्रक्रिया का बिना पालन किये, पंजी पर ही बटवारा आदेश पारित किया गया है । अत: ऐसे आदेश को दुर्लक्ष्य करना चाहिए । अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित बटवारा आदेश नियमावली के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4. तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 178 के प्रावधानों को नजरअंदाज कर बटवारा किया गया है । अनावेदक क्रमांक 2 बालुसिंह, आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 1 के अतिरिक्त पुत्रियां व

पत्नी होते हुए भी उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई है और अनावेदक क्रमांक 1 को स्वत्व व हिस्से से अधिक भूमि प्रदान की गई है । तहसीलदार द्वारा स्वत्व के प्रश्न का विनिश्चय कर अवैधानिक आदेश पारित किया गया है, जिसकी अधिकारिता उन्हें नहीं है । तहसील न्यायालय को स्वत्व के प्रश्न का निराकरण हेतु 90 दिवस के लिए कार्यवाही स्थगित किए जाने का आदेश प्रदान किया जाना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा व्यवहार न्यायालय के अधिकारों का उपयोग कर स्वत्व के प्रश्न का निराकरण करते हुए विभाजन आदेश पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की गई है ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजी पर आवेदक के पिता के हस्ताक्षर होने के आधार पर अपील निरस्त की गई है, जबकि यदि अवैधानिक आदेश सहमति के आधार पर भी पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश अवैध एवं प्रारंभत: शून्य होता है । सहमति होने मात्र से न्यायालय की समस्त पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान करने की प्रक्रिया का लोप नहीं किया जा सकता । अत: अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश प्रथम दृष्टयाही निरस्त होने योग्य हैं ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर पारित किया गया होने से परिसीमा का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । इस तर्क के समर्थन में 1991 आर.एन. 290 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक क्रमांक 2 बालुसिंह द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा किया गया था, जिसके आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा बटवारा नियमों का विधिवत पालन करते हुए विभाजन का आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा की गई है । इस आधार पर कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश यथावत रखते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा बालुसिंह के जीवित रहते नामांतरण पंजी पर बालुसिंह और एक पुत्र रघुवीर सिंह के बीच बटवारा किया गया है, जबकि बालुसिंह के अन्य पुत्र/पुत्रियां एवं पत्नी भी है लेकिन तहसील न्यायालय द्वारा न तो उन्हें सुना गया और न ही उन्हें कोई हिस्सा दिया गया है । उपरोक्त स्थिति पर दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी कोई विचार नहीं किया

गया है । अत: अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य हैं । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह सभी वारिसों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि अनुसार निर्णय लेवें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-10-2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर